



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022022-233521
CG-DL-E-16022022-233521

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 649]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 15, 2022/माघ 26, 1943

No. 649]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 15, 2022/MAGHA 26, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2022

का.आ. 668 (अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि आंध्रप्रदेश राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए “कृष्णपट्टनम - हैदराबाद पेट्रोलियम & पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन परियोजना” परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबन्ध में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए, सक्षम प्राधिकारी और विशेष उप

जिलाधिकारी, “कृष्णपट्टनम - हैदराबाद पेट्रोलियम & पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन परियोजना” भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), कृष्णपट्टनम - हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना, डि. नं-35-3-69/370-510, हाउसींग बोर्ड कोलोनी, एम.आई.जी.-123, ओंगोल डिस्ट्रिक्ट, आंध्रप्रदेश राज्य को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला: एस.पी.एस.आर.नेल्लोर

संभाग - विदावालुर

राज्य:-आंध्र प्रदेश

1	2	3	4	5	6	7
मंडल	ग्राम	सर्वे सं.	सब-डीव सं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
विदावालुर	पार्लापल्ले - नं.76	505-नहर	बी	00	02	72
		505-तालाब	बी	00	04	46
		508	--	00	55	92
		509	--	00	01	00
		512-2	2	00	22	18
		514	--	00	15	51
		515	--	00	15	74
		515-नहर	--	00	11	07
		516	1बी	00	21	59
		516	2	00	32	26
		527-नहर	सी-2	00	16	13
		527-नहर	सी-3	00	04	82
		108-1-सडक	4	00	00	08
		109-1-सडक	2	00	02	66
		109-1-सडक	1	00	07	40
		108-1	1	00	03	85
		109-2-नहर	--	00	05	53
		118-1-सडक	4	00	03	40
		118-1-सडक	1	00	03	79
		118-1-सडक	5	00	00	75
		121	--	00	01	25
		120	ए-3	00	17	06
		119	डी	00	01	00
		127	--	00	17	85
		128	--	00	18	80
		141	बी	00	14	29
		140	बी	00	14	46

1	2	3	4	5	6	7
		140	ए	00	20	38
		139	--	00	01	00
		147-1	ए	00	09	45
		147-1	बी	00	08	82
		148	--	00	18	27
		151	--	00	20	82
		188	--	00	01	00
		152-नहर	बी-2	00	15	75
		152-नहर	ए	00	00	37
		153	1	00	02	67
		152-नहर	बी-1	00	01	03
		158	--	00	35	20
		161	3	00	16	94
		156-1-सडक	2	00	05	16
		161-2-नहर	--	00	05	97
		32-2-नहर	--	00	00	10
		156-2-नहर	--	00	03	53
		27-1	--	00	11	39
		22	--	00	34	97
		23	बी	00	01	00
		19	--	00	02	06
		18	ए	00	21	67
		18	बी	00	01	00

[फा. सं. आर-11025(15)/1/2021-ओआर-I/ई-37744]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th February, 2022

S.O. 668 (E).—Whereas, it appears to the Central Government of Petroleum Products, that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum and Petroleum Products, Pipeline Origin long from “Krishnapatnam, A.P to Madharam near Hyderabad, Andhra Pradesh State. Should be laid in the state of Andhra Pradesh by Bharat Petroleum Corporation Limited.

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person who is interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which the copies of this notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object to the acquisition of the right of the users therein for earthening the pipeline under the Land by BPCL., in writing to the Competent Authority & Special Deputy Collector on Deputation from the State of Andhra Pradesh, for Krishnapatnam - Hyderabad Pipeline project., Bharat Petroleum Corporation Limited, D. No. 35-3-69/370-510, Housing Board Colony, MIG-123, Ongole District, Andhra Pradesh State.

SCHEDULE

District : SPSR Nellore

Revenue Division : Vidavalur

State : Andhra Pradesh

1	2	3	4	5	6	7
Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Sub-Divi-No.	Area		
				Hectare	Are	Sq.mtr.
Vidavalur	Parlapalle No.76	505-Canal	B	00	02	72
		505-Pond	B	00	04	46
		508	--	00	55	92
		509	--	00	01	00
		512-2	2	00	22	18
		514	--	00	15	51
		515	--	00	15	74
		515-Canal	--	00	11	07
		516	1B	00	21	59
		516	2	00	32	26
		527-Canal	C-2	00	16	13
		527-Canal	C-3	00	04	82
		108-1-Road	4	00	00	08
		109-1-Road	2	00	02	66
		109-1-Road	1	00	07	40
		108-1	1	00	03	85
		109-2-Canal	--	00	05	53
		118-1-Road	4	00	03	40
		118-1-Road	1	00	03	79
		118-1-Road	5	00	00	75
		121	--	00	01	25
		120	A-3	00	17	06
		119	D	00	01	00
		127	--	00	17	85
		128	--	00	18	80
		141	B	00	14	29
		140	B	00	14	46

1	2	3	4	5	6	7
		140	A	00	20	38
		139	--	00	01	00
		147-1	A	00	09	45
		147-1	B	00	08	82
		148	--	00	18	27
		151	--	00	20	82
		188	--	00	01	00
		152-Canal	B-2	00	15	75
		152-Canal	A	00	00	37
		153	1	00	02	67
		152-Canal	B-1	00	01	03
		158	--	00	35	20
		161	3	00	16	94
		156-1-Road	2	00	05	16
		161-2-Canal	--	00	05	97
		32-2-Canal	--	00	00	10
		156-2-Canal	--	00	03	53
		27-1	--	00	11	39
		22	--	00	34	97
		23	B	00	01	00
		19	--	00	02	06
		18	A	00	21	67
		18	B	00	01	00

[F. No. R-11025(15)/1/2021-OR-I/E-37744]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.